न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 677 / 2023

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. श्योपत पुत्र श्रीचन्द्र जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सतपाल पुत्र श्रीचन्द्र जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. सतवीर पुत्र श्रीचन्द्र जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 05/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 106 / 208 की कुल 1.1720 हैक्ट एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 200 / 208 की कुल 1.2360 हैक्ट भूमि, रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 402 / 106 की कुल 0.5980 हैक्ट भूमि, रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 401 / 200 की कुल 0.5920 हैक्ट भूमि जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 277 / 118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 137 / 1075 हिस्सा के तथा रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 361 / 112 की कुल 13.4810 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 11234 / 67405 हिस्सा भूमि के तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 190 / 179 की कुल 12.5190 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार की व्यक्ति है। वादी एवं प्रतिवादीगण के के नाम वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर दिया था तथा जीवनकाल में में किये गये बंटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है मौके पर वादग्रस्त भूमि बंटवारा के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है ... के अनुसार वादग्रस्त भूमि अलहदा अलहदा कायम करवा पाने के अधिकारी है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से बंटवारा किया हुआ है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1. रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 106/208 की कुल 1.1720 हैक्ट भूमि में से 0.2875 हैक्ट, खाता संख्या 200/208 की 1.2360 हैक्ट भूमि में से 0.2875 हैक्ट, खाता संख्या 402/106 की 0.5980 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 401/200 की 0.5980 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जावे।

2. रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 277/118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 4.11 हैक्ट भूमि का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.94875 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 5 अकेला 0.94875 हैक्ट भूमि तथा 2.2125 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

3. रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 361/112 के ख0न0 178 की 7.5500 हैक्ट, ख0न0 196 की 1.5810 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे तथा ख0न0 118 की 3.3500 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 0.0240 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.0120 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.314 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

4. रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/179 की कुल 12.5190 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज संयुक्त रूप से 3.339 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 5 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक पारिवारिक समझौता वाद भूमि के हक व हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार खाता व लगान अलग कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौता के अनुसार खाता व लगान अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 106/208 की कुल 1.1720 हैक्ट एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 200/208 की कुल 1.2360 हैक्ट भूमि, रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 402/106 की कुल 0.5980 हैक्ट भूमि, रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 401/200 की कुल 0.5920 हैक्ट भूमि जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 277/118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 137/1075 हिस्सा के तथा रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 361/112 की कुल 13.4810 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 11234/67405 हिस्सा भूमि के तथा रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/179 की कुल 12.5190 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी ने मुताबिक समझौता खाता व लगाान अलग करवाने हेतु वाद पेश किया है संयुक्त खाते का कोई भी खातेदार अच्छी व मंदी भूमि का अपने हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 106/208 की कुल 1.1720 हैक्ट भूमि में से 0.2875 हैक्ट, खाता संख्या 200/208 की 1.2360 हैक्ट भूमि में से 0.2875 हैक्ट, खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

402/106 की 0.5980 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 401/200 की 0.5980 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा शेष हिस्सा यथावत रहेगा। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 277/118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 4.11 हैक्ट भूमि का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.94875 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 5 अकेला 0.94875 हैक्ट भूमि तथा 2.2125 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 361/112 के ख0न0 178 की 7.5500 हैक्ट, ख0न0 196 की 1.5810 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा ख0न0 118 की 4..3500 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 2.0240 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.0120 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.314 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/179 की कुल 12.5190 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज संयुक्त रूप से 3.339 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। दयाराम पुत्र नत्थुराम का हिस्सा यथावत रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 677/2023

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 677 सन 2023 निर्णय दिनांक 05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 106/208 की कुल 1.1720 हैक्ट भूमि में से 0.2875 हैक्ट, खाता संख्या 200/208 की 1.2360 हैक्ट भूमि में से 0.2875 हैक्ट, खाता संख्या 402/106 की 0.5980 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 401/200 की 0.5980 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा शेष हिस्सा यथावत रहेगा। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 277/118 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 4.11 हैक्ट भूमि का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.94875 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी स0 5 अकेला 0.94875 हैक्ट भूमि तथा 2.2125 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 361/112 के ख0न0 178 की 7.5500 हैक्ट, ख0न0 196 की 1.5810 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा ख0न0 118 की 4..3500 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 2.0240 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.0120 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.314 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता संख्या 190/179 की कुल 12.5190 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज संयुक्त रूप से 3.339 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। दयाराम पुत्र नत्थुराम का हिस्सा यथावत रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/2024 को [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:51 IST
Reason: SelfAttested